भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4886

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : एग्रीवोल्टेइक खेती

4886. श्री जी एम हरीश बालयोगीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एग्रीवोल्टेइक (एपीवी) क्षमता के संबंध में आकलन/अध्ययन किया है/करने की योजना बनाई है और कृषि भूमि का कोई जीआईएस मानचित्रण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से खरीफ और रबी दोनों मौसमों में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में एग्रीवोल्टेइक खेती के लाभ और हानि की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एपीवी से फसलों से हुई उपज के संबंध में कोई आकलन/अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फसल उपज हानि का अधिकतम प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एपीवी की राजस्व सृजन क्षमता का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने एपीवी खेती के लिए एक मानक परिभाषा और मानदंड ढांचा विकसित करने की योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को नई व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। एमएनआरई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट (मेगावाट) के विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। यह स्कीम वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए 0.40 रुपये प्रति यूनिट की खरीद आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि सौर पैनलों और कृषि के एकीकरण से भूमि की दक्षता में वृद्धि, उच्च फसल उपज, जल संरक्षण और अधिक अनुकूल व सतत खाद्य-ऊर्जा प्रणाली की संभावना सहित कई लाभ प्राप्त होते हैं। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने देश में एग्रीवोल्टेइक (एपीवी) क्षमता के बारे में कोई आकलन नहीं किया है और एग्रीवोल्टेइक खेती के लिए कृषि भूमि का कोई जीआईएस मैपिंग नहीं किया है। कृषि फोटो वोल्टेइक (एपीवी) क्षमता मूल्यांकन, परिभाषा का मानकीकरण, विनियामक उपायों या प्रोत्साहनों के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****